मेसर्स शोबिका इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड एंव अन्य

बनाम

केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसायटी एवं अन्य

(सिविल अपील संख्याः 8461/2016)

सितम्बर 20, 2016

[दीपक मिश्रा और सी नागप्पन, जे.जे.,]

निविदा - बोलीकर्ताओं को निर्देश - की अनुपालना -तथ्यों पर - अपीलाट नंबर- 2 ने कीटनाशकों के उत्पाद के लिए अनन्तिम पंजीकरण के लिए आवेदन किया-निर्णय लिया गया किन्तु पंजीकरण प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया- उसके बाद प्रत्यर्थी द्वारा निविदा जारी की गई-अपीलार्थी द्वारा बोली प्रस्तुत की गई हालांकि बोली खोलने की तारीख पर पंजीकरण का प्रमाणपत्र अपीलार्थी के पास उपलब्ध नहीं था -प्रत्यर्थीगण द्वारा निर्णय निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई बोली को बोलियों के निमंत्रण की शर्तों के साथ गैरअनुपालक माना जाएगा-उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा उक्त निर्णय को सही ठहराया गया- अपील पर-अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलार्थी पंजीकरण प्रमाण पत्र देने के निर्णय और स्वयं को उत्तरदायी बोलीदाता के रुप में मानने के लाभ का दावा नहीं कर सकता है-यह बोलीदाताओं को दिए गए निदेशों में शामिल एक आवश्यक शर्त है-

बोलीदाताओं को दिए गए निदेशों के अनुसार एक आवश्यक शर्त यह थी कि बोली लगाने वाले को केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड के तहत पंजीकृत होना चाहिए और दस्तावेजी साक्ष्य बोली के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए-संशोधन में कहा गया है कि पंजीकरण प्रमाण पत्र निविदा खोलने के समय बोली के साथ प्रस्तुत किया जाएगा और यदि नहीं तो बोली को गैर उत्तरदायी माना जाएगा-पंजीकरण समिति द्वारा पंजीकरण को अस्थायी रुप से मंजूरी देने का निर्णय सी.आई.बी. के साथ पंजीकरण के बराबर नहीं है-इस प्रकार शर्त असंशोधित शर्त के तहत संतुष्ट नहीं थी-संशोधित खण्ड केवल उसके परिणाम के बारे में प्रदान करता है-भले ही खण्ड 6 में संशोधन नहीं किया गया हो तो पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के आधार पर पहले प्रत्यर्थी की बोली को गैर उत्तरदायी और गैर अनुपालन के रुप में अस्वीकार करना कानूनी रुप से उचित ठहराया गया है-इस प्रकार निविदा की आवश्यक शर्त को पूरा नहीं करने के कारण निविदा अपीलकर्ता अपात्र थे और निविदा गैर उत्तरदायी थी-कीटनाशक अधिनियम, 1968-एस.9(3 बी)

न्यायालय द्वारा याचिका खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया गया :-

1.1 निर्देशों के खण्ड 54 और 5.4.1 को पढ़ने पर बोलीदाताओं के लिए, यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुबंध के तहत् आपूर्ति की जाने वाली

वस्तुओं को आपूर्तिकर्ता और खरीददार के लाभ के लिए प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होना होगा। यह स्पष्ट है कि पंजीकरण प्रमाण-पत्र देने का पंजीकरण समिति का निर्णय शर्तों के अधीन है। इसके अलावा उसने कोई प्रमाण-पत्र नहीं दिया था बल्कि सिर्फ फैसला लिया था , लिए गए निर्णय और उस पर अमल किए गए या लागू किए गए निर्णय के बीच स्पष्ट अंतर होता है, इसलिए अपीलकर्ता उक्त निर्णय के लाभ का दावा नहीं कर सकता है। अपीलकर्ता स्वंय एक उत्तरदायी बोलीदाता के रूप में मानने का लाभ उठाने के लिए खंड 5-4-1 पर जोर नहीं दे सकते। जहा तक बोलीदाताओं के लिए निर्देशों का सवाल है प्रारम्भिक खंड यह था कि बोली लगाने वाले को सी-आई-बी-के तहत् पंजीकृत होना चाहिए। अधिनियम के तहत् और इस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य बोली के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे। संशोधन में इसे स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि निविदा खोलने के समय बोली के साथ पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो बोली को गैर-उत्तरदायी माना जाएगा। पहले प्रतिवादी के द्वारा एक निवेदन प्रस्तुत किया गया है कि यह एक स्पष्टीकरण शर्त है। यह माना जाता है कि सी.आई.बी. की पंजीकरण समिति द्वारा पंजीकरण को अस्थायी रूप मंजूरी देने का निर्णय सी.आई.बी. के साथ पंजीकरण के बराबर नहीं है। अतः शर्त, इस प्रकार असंशोधित शर्त के साथ संतुष्ट नहीं थी। संशोधित खंड केवल उसके परिणाम के बारे में प्रदान करता है। यह बिना किसी संदेह के कहा जा सकता है कि भले ही खंड-6 में संशोधन नहीं

किया गया होता पंजीकरण प्रमाण-पत्र को गैर-उत्पादन के आधार पर पहले प्रतिवादी द्वारा बोली को अस्वीकार करना कानूनी रूप से उचित होता। यह बोलीदाताओ के लिए निर्देशों के शामिल एक आवश्यक शर्त है। [पैरा 20,21] [331-बी, डी-एच; 332-ए]

1.2 अपीलकर्ता नंबर 1 ने पंजीकरण की मंजूरी के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया था। यह अपीलकर्ता नंबर 2 था जिसने इसे दायर किया था। फिर भी सीआईबी की पंजीकरण समिति द्वारा दिनांकः 31.03.2015 को निर्णय लिया गया था कि डीएसी द्वारा व्यावसायीकरण के लिए अनुमति देने की शर्त के अधीन पंजीकरण को मंजूरी दी जाए। इसके अलावा, संबंधित प्राधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय, भले ही इसे अपीलकर्ता की सूक्ष्म दलील के बावजूद वेबसाइट पर डाल दिया गया हो, पंजीकरण प्रमाण-पत्र के बराबर नहीं होगा। स्थित स्पष्ट करने के लिए संशोधन किया गया भले ही संशोधन नहीं लाया गया हो, अंतिम प्रतिवादी आपत्ति लागू करके स्थिति में होता अपीलकर्ताओं की बोली को गैर उत्तरदायी और गैर अनुपालक माना जाएगा। अवश्य शब्द का उपयोग इसमें काफी हद तक निश्चितता जोड़ता है यह एक अपेक्षित मापदण्ड है जैसा की प्रतिवादी संख्या-1 ने सोचा था। यह निविदा क्रय करने के लिए जारी की गई थी जो देश के लिए आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के साथ प्रथम प्रतिवादी अत्यधिक सावधानी बरत रहे थे। ऐसी परिस्थिति में, इस बात पर

जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें सार्वजनिक हित शामिल है। यह निजी हित के आगे नहीं झुक सकता। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से कार्यवाही को मनमाना और अनुचित नहीं माना जा सकता। किसी भी कल्पना में यह नहीं माना जा सकता कि यह एक ऐसा कार्य है जो प्रमाणिक नहीं है या चौथे प्रतिवादी का पक्ष लेने के लिए किया गया है। ऐसा कुछ भी अभिवचन नहीं किया गया है कि चौथा प्रतिवादी पात्र या योग्य नहीं है। निविदा की आवश्यक शर्त पूरी नहीं होने पर निविदाकर्ता,अपीलकर्ता अयोग्य थे और निविदा अनुत्तरदायी थी। इसके अलावा संशोधन सभी पर लागू था। इसके अतिरिक्त मुकद्मेंबाजी के प्रथम दौर में उच्च न्यायालय ने यह नहीं अभिनिर्धारित किया था कि दिनांक 31.03.2015 को दिए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र से पंजीकरण प्राधिकारी के निर्णय की तारीख से रिट याचिकाकर्ताओं को लाभ होगा और उसने ऐसा सही नहीं कहा था। किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाय तो इस अपील में उठाए गए आधारों में कोई सार नहीं है। (पैरा 26) (334-बी-एफ)

बी.एस.एन. जोशी एंड संस लिमिटेड बनाम नायर कोल सर्विसेज लिमिटेड और अन्य 2006 (8) सप्लमेंटरी एस.सी.आर.11:(2006) 11 एस.सी.सी. 548: मास्टर मरीन सर्विस (पी) लिमिटेड और अन्य 2005 (3) एससीआर 666: (2005)6 एससीसी 138; जगदीश मंडल बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य 2006 (10) सप्लमेंटरी। एससीआर 606; (2007)

14 एससीसी 517; भारत संघ और दूसरा इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी और दूसरा 2003 (1) सप्लमेंटरी। एससीआर 55: (2003) 5 एससीसी 437; जेस्पर एल. स्लोंग बनाम मेघालय राज्य और अन्य (2004) 11 एससीसी 485- संदर्भित।

केस कानून संदर्भ

2006 (8)	पूरक। एससीआर 11	निर्दिष्ट	पैरा 21
2005 (3)	एससीआर 666	निर्दिष्ट	पैरा 22
2006 (10)	पूरक। एससीआर 606	निर्दिष्ट	पैरा 23
2003 (1)	पूरक। एससीआर 55	निर्दिष्ट	पैरा 24
2004 11	एससीआर 485	निर्दिष्ट	पैरा 25

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 8461/2016

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के डब्ल्यू.पी.(सी) नम्बर 1994/ 2016 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांकः 10.05.2016 से

विकास सिंह वरिष्ठ अधिवक्ता, श्रीरामकृष्ण, सुश्री उदिता सिंह अधिवक्ता -अपीलकर्ताओं के लिए

सुश्री पिंकी आनंद, ए.एस.जी., अतुलेश कुमार, एस.वसीम ए. कादरी, डी.एस. महारा, ऋषिकांत सिंह, सुश्री कृतिका सचदेवा, शादमान अली, धमेन्द्र कुमार सिन्हा, -उत्तरदाताओ के लिए

न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश दीपक मिश्रा जे. द्वारा पारित किया गया :-

1. त्वरित अपील विशेष अनुमति द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा वर्ष, 2016 के डब्ल्यू.पी.(सी) नम्बर 1994 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 10.05.2016 की औचित्यता पर सवाल उठाते हुए दायर की गई है, जिसके तहत् डिवीजन बैंच ने अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत बोली को बोलीयों के निमंत्रण(आई.एफ.बी.) की शर्तों के अनुरूप नहीं मानने के उत्तरदाताओं द्वारा लिए गए निर्णय में हस्तक्षेप करनेे से इंकार कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप रिट याचिका पर स्पष्टीकरण के लिए आवेदन खारिज कर दिया गया।

2. अपीलकर्ता नम्बर 1, कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत् निगमित कम्पनी है और अपीलकर्ता नम्बर 2, एक स्वामित्व वाली कम्पनी है और इसका अधिकृत एजेन्ट उक्त कम्पनी का निदेशक है। अपीलकर्ता कम्पनी ने अपने कीटनाशक उत्पाद, लम्बे समय तक चलने वाले कीटनाशक नेट("एल एल आई एन") का निर्माण शुरू किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन कीटनाशक मूल्यांकन योजना(डब्ल्यू. एच. ओ. पी. ई. एस.)

एलएलआईएन ब्रांडो की निगरानी मूल्यांकन एवं अनुमोदन के लिए वैश्विक निकाय है, क्योंकि उक्त सिफारिश के बिना एलएलआईएन को बाजार में नहीं बेचा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि डब्ल्यू. एच. ओ. पी. ई. एस. किसी उत्पाद को अनुशंषा देने से पहले तीन अस्त्रो पर बहुत कड़े परीक्षण करता है, जिसमें प्रयोगशाला परीक्षण, वाशप्रभावी परीक्षण और जैव-प्रभावकारिता क्षेत्र परीक्षण, परीक्षण शामिल है और परीक्षण की कठोरता के कारण केवल मुट्ठीभर एलएलआईएन ही किए गए है। डब्ल्यू. एच. ओ. पी. ई. एस. द्वारा अनुशंषित और अपीलकर्ताओ का उत्पाद डीयूआरएएनईटी® उनमें से एक है। अपीलकर्ता नम्बर 1 को कीटनाशक नियम, 1971(संक्षेप में, "नियम") के तहत् 08.01.2014 को कीटनाशक बनाने का लाईसेंस जारी किया गया था और बिक्री के लिए थोक लेनदेन और भंडारण की अनुमति भी दी गई थी। अपीलकर्ता के पक्ष में दिया गया लाईसेंस समय- समय पर नवीनीकृत किया गया था और यह 31.12.2015 तक वैध था।

3. जैसा कि तथ्यों से पता चला है, अपीलकर्ता संख्या 2 ने आवेदन संख्या 45295 के माध्यम से केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड को कीटनाशक उत्पाद, यानि अल्फासाइफर्मेथ्रिन इनकार्पोरेटेड लान्ग लास्टिंग मास्किटो बेड नेट(व्यावसायिक नाम डीयूआरएएनईटी®) के लिए अनंतिम पंजीकरण के लिए आवेदन किया था। (सी.आई.बी.) की पंजीकरण समिति ने अपनी

354 वीं बैठक दिनांक 31.03.2015 में सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए अधिनियम की धारा 9 (3 बी) के तहत् अनंतिम पंजीकरण के लिए एलएलआईएन यानि डीयूआरएएनईटी® को मंजूरी दे दी। हम प्रासंगिक चरण में सीआईबीआरसी के उक्त निर्णय का उल्लेख करेंगे।

4. पहले प्रतिवादी ने वेक्टरजनित रोग नियत्रंण परियोजना के तहत् एक करोड़ एलएलआईएन की खरीद के लिए एक निविदा यानि सीएमएसएस/पीआरओसी/एनवीबीडीसीपी/ 2015-16/006 जारी की। सीआईबी की धारा 1 बोलीदाताओ को निर्देश से संबंधित है। पैरा 4 पात्रता से संबंधित है। पैराग्राफ 5 बोली दस्तावेजो के लिए वस्तुओ एवं सेवाओ की अनुरूपता स्थापित करने वाले दस्तावेजों की सूची के लिए प्रदान किया गया है। पैराग्राफ 6 में बोली लगाने वाले की योग्यताएं निर्दिष्ट है। पैराग्राफ 6(ए) निर्माता बोलीदाताओं से संबंधित है। बोलीदाताओं को निर्देश जारी किए जाने के बाद विभिन्न खण्डों को शामिल किया गया, जिनमें उपर उल्लेखित खण्ड भी शामिल है, बोली दस्तावेज में संशोधन संख्या 3 दिनांक 28.09.2015 को किया गया था। बोलीदाताओ के लिए निदेर्शों की धारा 1 में 6.1(ए)(डी) 6 में निहित खंड में संशोधन किया गया था। प्रारभिंक अनुच्छेद 6.1(ए)(डी) 6 इस प्रकार हैः-

"6. बोलीदाताओं द्वारा पेश किए गए एलएलआईएन को कीटनाशक अधिनियम 1968 के तहत् भारत के केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड (सीआईबी) के साथ पंजीकृत होना चाहिए। इन्हें स्थापित करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य बोली के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे। "

5. संधोधित खंड निम्नानुसार निर्धारित किया गया हैः-

"बोलीदाताओ द्वारा पेश किए गए एलएलआईएन को कीटनाशक अधिनियम, 1968 के तहत् भारत के केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड (सीआईबी) के साथ पंजीकृत होना चाहिए। सीआईबी द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण-पत्र बोली के साथ जमडीयूआरएएनईटी®T किया जाना चाहिए या बोली के समय नवीनतम प्रदान किया जाना चाहिए। निविदा (तकनीकी बोली) खोलने की तारीख और समय पर सीआईबी पंजीकरण प्रमाण-पत्र के साथ नहीं आने वाली बोलियों को गैर-उत्तरदायी माना जाएगा।"

6. इस जंक्शन पर, कथा को अतीत की यात्रा करने की आवश्यकता है। अपीलकर्ता संख्या 2 द्वारा अनंतिम पंजीकरण प्रदान करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिस पर सीआईबीआरसी द्वारा 31.03.2015 को निर्णय लिया गया था। उक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग

जिसे अपीलकर्ताओ द्वारा सेवा में सशक्त रूप से लागू किया गया है, इस प्रकार हैः-

> "कीटनाशक अधिनियम 1968 की धारा 9(3 बी) के तहत् अल्फासापरमेथ्रिन इनकार्पोरेटेड लान्ग लास्टिंग मास्किटो बेड नेट (एलएलआईएन) 0.55% डब्ल्यू/डब्ल्यू के स्वदेशी निर्माण के लिए पंजीकरण के अनुदान के लिए मेसर्स शोबिका इम्पेक्स, करूर, टीएन के आवेदन पर विचार किया गया।
>
> एजेंडे पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया और समिति ने सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए धारा 9 (3 बी) के तहत् अनंतिम पंजीकरण को मंजूरी दे दी, जो माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष डब्ल्यूपी नंबर 8408/2015 और डब्लयूपी नबंर 8409/2015 वाले अदालती मामले के नतीजे के अधीनता समिति ने आगे निर्णय लिया कि अनंतिम पंजीकरण के दौरान व्यावसायीकरण की अनुमति के लिए मामला डीएसी को भेजा जाएगा।" (जोर दिया गया)

7. अपीलकर्ता नबंर 1 को दुख हुआ, क्योंकि इस तथ्य के बावजूद निर्णय लिया गया था, पंजीकरण प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया था

और बोलीदाताओं के लिए निर्देशों में संशोधन आया था जो कानून में अस्वीकार्य था। इसलिए, इसने 2015 के डब्ल्यूपी (सी) 9694 में उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल किया, जिसने 14.10.2015 के आदेश के तहत् नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया कि रिट याचिकाकर्ताओं की बोली केवल इस आधार पर खारीज नहीं कि यह पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं था। 19.10.2015 को पहले प्रतिवादी अपीलकर्ताओ को सूचित किया कि उच्च न्यायालय के निर्देश का अनुपालन किया जाएगा और बोली को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संशोधित किया जाएगा। यह भी बताया गया कि पंजीकरण की नवीनतम स्थित के संबंध में सी.आई.बी. को एक पत्र लिखा गया था और 30.11.2015 को मामले को फिर से अधिसूचित किए जाने के संबंध में सीआईबी को उसी संचार में सूचित किया गया था।

8. जैसा कि तथ्यात्मक विवरण से पता चलेगा, 27.10.2015 को अपीलकर्ताओ ने अधिनियम के तहत् बनाए गए नियमों के नियम 9 के तहत् उत्पाद डीयूआरएएनईटी® के लिए कीटनाशको के निर्माण के लिए लाईसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था। बोली शर्तों के अस्पस्टीकरण के संबंध में अपीलकर्ताओं व प्रतिवादी नबंर 1 के मध्य कुछ संचार हुए। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को सीआईबीआरसी को एक पक्ष के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया और उसने उक्त प्राधिकारी को एक

हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया। रिट याचिका के लम्बित रहने के दौरान सीआईबीआरसी ने दिनांक 21.12.2015 को पजींकरण प्रमाण-पत्र जारी किया। प्रमाण-पत्र यहा अपीलकर्ता नबंर 2,शोबिका इम्पेक्स के पक्ष में जारी किया गया था। उच्च न्यायालय ने दिनांक 20.01.2016 के आदेश के तहत् रिट याचिका (सी)9694/ 2015 का निपटान इस प्रकार कियाः-

> " प्रतिवादी नबंर 4 की ओर से दिनांक 23.12.2015 को एक हलफनामा दायर किया गया है जिसमें यह अस्पष्ट रूप से कहा गया है कि 31.03.2015 को आयोजित पंजीकरण समिति की 354 वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार मैसर्स शोबिका इम्पेक्स, करूर है। केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति के साथ पंजीकरण संख्या सीआईआर-1802/2015 (354) के तहत् कीटनाशक अधिनियम, 1968 की धारा 9 (3 बी) के तहत् पंजीकृत-अल्फासापरमेथ्रिन इनकार्पोरेटेड लम्बे समय तक चलने वाला मच्छर बिस्तर नेट 0.5% डब्ल्यू/डब्ल्यू -04, दिनांकः 21.12.2015 जो स्वदेशी निर्माण के लिए दो साल यानि 20.12.2017 तक वैद्य है। उक्त बोर्ड द्वारा मैसर्स शोबिका इम्पेक्स के पक्ष में उक्त कीटनाशको के संबंध में एक

प्रमाण-पत्र भी जारी किया गया है उसी की एक प्रति सीएम संख्या 1402/2016 के अनुबंध ए-1 के रूप में रिकार्ड पर रखा गया है।

इन स्पष्टीकरणों के मद्देनजर प्रतिवादी संख्या 1 निविदा के साथ आगे बढ़ सकता हैः-

रिट याचिका का निपटारा उपरोक्त शर्तों के साथ किया जाता है।"

9. रिट याचिका (सी) 9694/ 2015 के निपटारे के बाद, प्रतिवादी नबंर 1 ने तकनीकी बोली के मूल्यांकन के लिए एक उप-समिति का गठन किया और उक्त उप-समिति ने पाया कि अपीलकर्ता नबंर 1 के पास सीआईबी पंजीकरण प्रमाण-पत्र नहीं था। इसके नाम पर जैसा कि संशोधन संख्या 3 दिनांकः 28.09.2015 में स्पष्ट रूप से आवश्यक है, और इसके अलावा बोली जमा करने के समय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था, और तद्नुसार बोली को गैर-अनुपालक होने के कारण स्वीकार्य नहीं माना गया था। इस समय, अपीलकर्ता नबंर 1 ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका (सी) 9694/ 2015 में पारित आदेश दिनांकः 20.01.2016 का स्पष्टीकरण आवेदन दायर किया। इस बीच, लाईसेन्सिंग प्राधिकारी ने दिनांकः 27.10.2015 को नवीनीकरण के लिए आवेदन के अनुसार अपीलकर्ता नबंर 1 के कीटनाशक के निर्माण के लिए लाईसेंस का

नवीनीकरण किया और 17.02.2016 को उप-समिति ने कीटनाशक उत्पाद के लिए ऑर्डर देने की सिफारिश की। मैसर्स वेस्टरगार्ड ग्रुप एसए के साथ कुल मूल्य यूएस$ 30,407,886। अपीलकर्ता नबंर 1 ने प्रतिवादी नबंर 1 के साथ पत्राचार किया, लेकिन जब कोई परिणाम नहीं निकला, तो उसने 2016 की रिट याचिका(सी) संख्या 1994 में उच्च-न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

10. उच्च-न्यायालय के आदेश पर गौर करने पर, यह ध्यान देने योग्य है कि इसमें बोलीदाताओं को दिए गए निर्देशों के असंशोधित खंड 6.1(ए)(डी) 6 का उल्लेख किया गया है।उच्च-न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं का रूख यह था कि उसका उत्पाद दिनांकः 31.3.2015 की बैठक के अनुसार सीआईबी के साथ विधिवत् पंजीकृत था और इसलिए, उत्तरदाताओं का निर्णय पूरी तरह अस्थिर था। उच्च न्यायालय ने खंड में लाए गए संशोधन पर ध्यान दिया, जिसे हमने यहा पहले दोहराया है। इसने रिट याचिका(सी) 9694/ 2015 में पारित अपने पहले आदेश का हवाला दिया और इस तथ्य पर ध्यान दिया कि उत्तरदाताओं को पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर जोर दिए बिना उसकी बोली पर विचार करने और रद्द करने के लिए परमादेश रिट जारी करने के लिए प्रार्थना की गई थी। संशोधन संख्या 3 के अनुसार, लेकिन ऐसी कोई राहत नहीं दी गई। इसमें अपीलकर्ता नबंर 2 के पक्ष में प्रमाण-पत्र देने के संबंध में रूख का

भी उल्लेख किया गया है, लेकिन पाया गया कि इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। जैसा की हमने पाया, उच्च न्यायालय की डिवीजन बैंच एफआईबी में संशोधन द्वारा शामिल शर्त के गैर-अनुपालन से सहमत हो गई है। उच्च न्यायालय की टिप्पणीया इस प्रकार हैः-

"13 प्रतिवादी का तर्क यह है कि याचिकाकर्ताओं की बोली अनिवार्य खंड 6.1(ए)(डी) 6(संशोधन संख्या 3 द्वारा संशोधित) के मद्देनजर गैर-प्रतिक्रियाशील है जो यह निर्धारित करती है कि पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया गया है सीआईबी द्वारा बोली के साथ प्रस्तुत किया जाना है या नवीनतम निविदा खोलने के समय प्रदान किया जाना है। निविदा खोलने के समय सीआईबी प्रमाण-पत्र के साथ नहीं आने वाली बोलीयों को गैर-उत्तरदायी माना जाएगा ।"

और फिरः-

"15 वर्तमान मामले में बोली जमा करने व खोलने की तारीख स्वीकार्य रूप से 14.10.2015 थी हालांकि याचिकाकर्ता का तर्क यह है कि जिस तारीख को वे पंजीकृत हुए थे, पंजीकरण का प्रमाण-पत्र उनके पास उपलब्ध नहीं था। माना जाता है कि प्रमाण-पत्र पंजीकरण केवल

21.12.2015 को जारी किया गया है। बोली खोलने की तारीख यानि 14.10.2015 को याचिकाकर्ताओं के पास पंजीकरण प्रमाण-पत्र नहीं था। वे स्पष्ट रूप से योग्यता शर्तों को पूरा नहीं करते है। भले यह मान लिया जाए की उत्पाद याचिकाकर्ता को उक्त तिथि पर पंजीकृत किया गया था, क्योंकि सीआईबी की बैठक पहले ही हो चुकी थी फिर भी यह याचिकाकर्ताओं के मामले में मदद नहीं करता है, क्योंकि याचिकाकर्ता स्पष्ट रूप से खंड 6.1 (ए)(डी) 6 के अनुरूप नहीं है। बोली के साथ या बोली खुलने की तारीख तक पंजीकरण प्रमाण-पत्र जमा करना स्पष्ट रूप से, याचिकाकर्ताओं की बोली गैर-अनुपालक है उसे गैर-उत्तरदायी माना जाएगा।"

11. इस दृष्टिकोण से, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज कर दिया।

12. हमनें अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विकास सिंह और प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के लिए विद्वान अतिरिक्त सालिसिटर जनरल सुश्री पिंकी आनंद को सुना है। प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से किसी ने भी उपस्थिति दर्ज नहीं की है।

13. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि जब सी.आई.बी.आर.सी. ने पंजीकरण प्रमाण पत्र देने का निर्णय लिया था और इसे वेबसाईट पर डाल दिया था, तो यह माना जाएगा कि प्रमाण पत्र उस तिथि को प्रदान किया गया था और इसलिए, उच्च न्यायालय ने बोली को गैर-अनुपालक या गैर-उत्तरदायी मानकर गलती की है। उनका आगे यह कहना है कि प्रतिवादी नम्बर 1 ने प्रतिवादी नम्बर 4 का पक्ष लेने के एकमात्र इरादे से बोलीदाताओं के लिए निर्देशों में संशोधन किया है, क्योंकि यह एकमात्र बोली लगाने वाला था और इसलिए उत्तरदाताओं की पूरी कार्यवाही घोर मनमानी से ग्रस्त है और जो संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है।

14. इसके विपरीत विद्वान अतिरिक्त सालिसिटर जनरल सुश्री पिंकी आनंद का तर्क है कि स्थित को अस्पष्ट करने के लिए संशोधन अस्तित्व में लाया गया था क्योंकि यह एक अलग प्रकृति की निविदा थी। वह दलील देगी कि पंजीकरण प्रमाण पत्र अपीलकर्ता नम्बर 1 का नहीं बल्कि अपीलकर्ता नम्बर 2 का था और अपीलकर्ता नम्बर 2 ने कीटनाशक उत्पाद डीयूआरएएनईटी® के घरेलू पंजीकरण का उपयोग करने के लिए अपीलकर्ता नम्बर 1 को प्राधिकार दिया गया था और उसने ऐसा किया बोलीदाताओं को दिए गए निर्देशों में निर्धारित आवश्यकता को पूरा नहीं करते है। विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अधिनियम के प्रावधानों में एक व्यक्ति द्वारा

दूसरे व्यक्ति को इसके पंजीकरण का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत करने का कोई प्रावधान नहीं है। सुश्री पिंकी आनंद का कहना है कि किसी भी तरह से, अपीलकर्ता नम्बर 1 ने बोली जमा करने के समय अपेक्षित पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा नहीं किया था और उस पृष्ठभूमि में, उच्च न्यायालय की व्यक्त राय को गलत नहीं माना जा सकता है। उनका यह भी कहना है कि निविदा शर्ता का खण्ड 5.4 के अनुसार अपीलकर्ता नम्बर 1 बोली लगाने वाला नहीं हो सकता था। इसके अलावा यह आग्रह किया गया है कि चौथा प्रतिवादी एकमात्र बोलीदाता नहीं था, बल्कि 6 बोलीदाता थे और संशोधन में स्पष्टता के बारे में सोचा गया था जो सार्वजनिक हित में था।

15. उल्लेखनीय है कि यह अधिनियम मनुष्यों या जानवरों के लिए जोखिम को रोकने की दृष्टि से कीटनाशकों के आयात, निर्माण, बिक्री, परिवहन, वितरण और उपयोग को विनियमित करने और इससे जुडे मामलों के लिए लागू नहीं किया है। धारा 3 (ई)''कीटनाशक'' को परिभाषित करती है जो इस प्रकार है:-

''कीटनाशक'' का अर्थ है:-

(i) अनुसूची में निर्दिष्ट कोई भी पदार्थ ।

(ii) ऐसे अन्य पदार्थ (कवकनाशी और खरपतवारनाशी सहित) जिन्हें केन्द्र सरकार, बोर्ड से परामर्श के बाद, आधिकारित राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय समय पर अनुसूची में शामिल कर सकती है; या

(iii) ऐसी कोई भी तैयार जिसमें ऐसे किसी एक या अधिक पदार्थ शामिल हो;"

16. सक्षम प्राधिकारी ने अनुसूची जारी की है जो कीटनाशकों की सूची से सम्बन्धित है। धारा 4 केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड के गठन और बोर्ड की भूमिका से सम्बन्धित है। धारा 9 कीटनाशकों के पंजीकरण से सम्बन्धित है। धारा 9 का उपधारा (3) और धारा 3 (बी) प्रासंगिक होने के कारण नीचे पुनः प्रस्तुत की गई है:-

"(3) किसी कीटनाशक के पंजीकरण के लिए ऐसी किसी आवेदन की प्राप्ति पर, समिति, ऐसी जांच के बाद जो वह उचित समझे और खुद को संतुष्ट करने के बाद कर सकती है कि जिस कीटनाशक से आवेदन सम्बन्धित है, वह आयातक या उसके द्वारा किए गए दावों के अनुरूप है निर्माता, जैसा भी मामला हो, कीटनाशक की प्रभावकारिता और मनुष्यों और जानवरों के लिए इसकी सुरक्षा के सम्बन्ध में, ऐसी शर्तों पर जो इसके द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है,

पंजीकृत करें और ऐसी फीस के भुगतान पर जो निर्धारित की जा सकती है, कीटनाशक, उसके लिए एक पंजीकरण संख्या आवंटित करें और आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 12 महिने की अवधि के भीतर उसके प्रतीक के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करें:

परन्तु समिति, यदि वह उक्त अवधि के भीतर अपने समक्ष रखी गई सामग्रियों के आधार पर किसी निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है, तो अवधि को छः महिने से अधिक की अतिरिक्त अवधि तक बढा सकती हैः

परन्तु यह और की यदि समिति की राय है कि आवेदक द्वारा मनुष्यों या जानवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त होने का दावा किया गया, सावधानियां ऐसी नहीं है जिन्हें आसानी से देखा जा सके या ऐसी सावधानियों के पालन के बावजुद कीटनाशक के उपयोग में गंभीर खतरा शामिल है तो मनुष्यों या जानवरों के लिए यह कीटनाशक को पंजीकृत करने से इंकार कर सकता है।

XXXXXXXXXX

(3 बी) जहां पंजीकरण समिति की राय है कि कीटनाशक भारत में पहली बार पेश किया जा रहा है, तो वह बिना जांच के, इसे 2 साल की अवधि के लिए ऐसी शर्तों पर अनन्तिम रूप से पंजीकृत कर सकती है, जोइसके द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है'

17. धारा 10 पंजीकरण न होने या रद्दीकरण के विरूद्ध अपील का प्रावधान करती है। धारा 11 केन्द्र सरकार को पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान करती है। अधिनियम की योजना, जैसा कि हम पाते है, प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करती है।

18. नियमों का नियम 9 कीटनाशकों के निर्माण के लिए लाईसेन्स से सम्बन्धित है। उक्त नियम नीचे दिया गया है:-

''9. कीटनाशकों के निर्माण के लिए लाइसेंस:

1. किसी भी कीटनाशक के निर्माण के लिए लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन, जैसा भी मामला हो, फार्म III या फार्म IV में लाइसेंसिंग अधिकारी को किया जाएगा और प्रत्येक कीटनाशक के लिए पचास रूपये का शुल्क संलग्न किया जाएगा। अधिकतम पांच सौ रूपये के अधीन।

2. यदि किसी कीटनाशक का निर्माण एक से अधिक स्थानों पर किया जाना प्रस्तावित है तो अलग-अलग आवेदन किए जाएंगे और ऐसे प्रत्येक स्थान के संबंध में अलग-अलग लाइसेंस जारी किए जायेंगे।

3. कीटनाशकों के निर्माण का लाईसेंस फार्म V में जारी किया जायेगा और निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगा ;

I. लाईसेंस और नवीनीकरण का कोई भी प्रमाण-पत्र अनुमोदित परिसर में रखा जाएगा और अधिनियम के तहत् नियुक्त कीटनाशक निरीक्षक या लाईसेन्सिंग अधिकारी द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी के अनुरोध पर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

II. लाईसेंस में नामित विशेषज्ञ स्टाफ में कोई भी बदलाव तुरंत लाईसेसिंग अधिकारी को सूचित किया जाएगा।

III. यदि लाईसेंसधारी लाईसेंस की अवधि के दौरान अतिरिक्त कीटनाशकों की बिक्री के लिए निर्माण करना चाहता है, तो उसे प्रत्येक श्रेणी के कीटनाशको के लिए निर्धारित शुल्क के भुगतान पर लाईसेंस में आवश्यक

पृष्ठांकन के लिए लाईसेसिंग अधिकारी को आवेदन करना होगा।

IV. लाईसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन नियम 11 में निर्धारित अनुसार किया जाएगा।

V. लाईसेंस धारी अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके तहत वर्तमान में लागू नियमो की अनुपालना करेगा।

VI. लाईसेंस धारी को निर्माण शुरू होने के तीन महीने के भीतर भारतीय मानक ब्यूरो से आई.एस.आई. मार्क प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।

VII. आई.एस.आई. मार्क प्रमाणीकरण के बिना कोई भी कीटनाशक बेचा या वितरित नहीं किया जाएगा।

4.(ए) लाईसेसिंग अधिकारी आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, कोई भी लाईसेंस देने से इंकार कर सकता है।

(4-ए) किसी कीटनाशक के निर्माण का लाईसेंस तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि लाईसेंसिग अधिकारी इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि आवश्यक सयंत्र और मशीनरी, सुरक्षा उपकरण और प्राथमिक चिकित्सा सुविधा

आदि उस परिसर में मौजूद है जहां कीटनाशक का निर्माण प्रस्तावित है।

5. इस नियम के तहत् जारी किए गए लाईसेंस की डुप्लीकेट कॉपी के लिए 5 रूपए का शुल्क देना होगा, यदि मूल प्रति विरूपित, क्षतिग्रस्त या खो गई है।"

19. अधिनियम व नियमों के प्रावधान जैसा कि हमें लगता है अपने आप में पूर्ण संहिता का गठन करते है। इस संदर्भ में, हमें सीआईबी की पंजीकरण समिति के द्वारा लिए गए निर्णय की प्रकृति को देखना होगा, जिसने अधिनियम की धारा 9(3 बी) के तहत् अपीलकर्ता संख्या 2 के आवेदन पर विचार किया और अनंतिम पंजीकरण के लिए मंजूरी दे दी है। हमने पहले ही उक्त निर्णय पुनः प्रस्तुत कर दिया है। निर्णय में कहा गया कि इसे अनंतिम पंजीकरण के दौरान व्यावसायीकरण की अनुमति के लिए डीएसी(कृषि एवं सहकारिता विभाग) को भेजा जाना था। इस संदर्भ में, बोलीदाताओं को दिए गए निर्देशों के खंड 5.4 और 5.4.1 महत्वपूर्ण हो जाते है। वे इस प्रकार पढ़ते हैः-

"5.4 अनुबंध के तहत् आपूर्ति किए जाने वाली वस्तुओ को आपूर्तिकर्ता व क्रेता के देश में संबंधित प्राधिकारी के साथ पंजीकृत किया जाएगा। बोली लगाने वाले को अपनी बोली

के साथ पंजीकरण प्रमाण-पत्र की एक प्रति जमा करनी होगी जैसा कि नीचे बताया गया हैः-

1. केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड(सीआईबी) द्वारा क्रेता के देश में उपयोग के लिए जारी माल के पंजीकरण प्रमाण-पत्र की एक प्रति।

नोटः- बोलीदाताओ से अनुरोध है कि वे विभिन्न सरकारी एजेन्सियों की भागीदारी के कारण होने वाली किसी भी देरी से बचने के लिए पंजीकरण आवश्यकताओ और प्रक्रियाओं के बारे में पहले से पूछताछ कर ले। इस संबंध में किसी भी देरी के लिए क्रेता जिम्मेदार नहीं होगा।

5.4.1. क्रेता को यथासंभव सीमा तक क्रेता के देश के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए सफल बोलीदाता के साथ सहयोग करना चाहिए। पंजीकरण के लिए आवश्यकतओं के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने में सक्षम एजेन्सी और सम्पर्क व्यक्ति वेबसाईटः डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.सीआईबीआरसी.एनआईसी.इन से प्राप्त की जा सकती है।"

20. उक्त खंडों को पढ़ने पर, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि अनुबंध के तहत् आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं को आपूर्तिकर्ता और खरीददार के लाभ के लिए प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होना होगा। श्री सिंह ने खंड 5.4.1 पर जोर देते हुए कहा है कि क्रेता का दायित्व है कि वह क्रेता के देश के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया को यथासंभव सुविधाजनक बनाने के लिए सफल बोलीदाता के साथ सहयोग करे। सुश्री पिंकी आनंद का कहना है कि उक्त धारा आम तौर पर पंजीकरण प्रक्रिया में शामिल विभिन्न एजेंसियों के नाम, पते और संपर्क व्यक्तियों को प्रदान करके संभावित बोलीदाताओं की मदद करने के लिए है, लेकिन इसका मतलब मालिक के लिए एक निश्चित तिथि निर्धारित करने में बाधा पैदा करना नहीं है कि निविदा जमा करने के समय पंजीकरण किस समय तक जमा किया जाना है।

21. मामले का जोर इस बात पर है कि क्या पंजीकरण समिति के निर्णय को ही पंजीकरण प्रमाण-पत्र का अनुदान माना जा सकता है। यह स्पष्ट है कि पंजीकरण प्रमाण-पत्र देने का उसका निर्णय शर्तों के अधीन है। इसके अलावा उसने कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया था बल्कि सिर्फ फैसला लिया था, लिए गए निर्णय और उस पर अमल किए गए या लागू किए गए निर्णय के बीच स्पष्ट अंतर होता है। इसलिए, अपीलकर्ता उक्त निर्णय के लाभ का दावा नहीं कर सकता। अपीलकर्ता स्वंय को एक उत्तरदायी बोलीदाता के रूप में मानने का लाभ उठाने के लिए खंड 5.4.1 पर जोर

नहीं दे सकते। जहां तक बोलीदाताओं के लिए निर्देशों का सवाल है, प्रारंभिक खंड यह था कि बोली लगाने वाले को अधिनियम के तहत सीआईबी के तहत पंजीकृत होना चाहिए और इस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य बोली के साथ जमा करना होगा। संशोधन में इसे स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि निविदा खोलने के समय बोली के साथ पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा और यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो बोली को गैर-उत्तरदायी माना जाएगा। पहले प्रतिवादी द्वारा एक निवेदन प्रस्तुत किया गया है कि यह एक स्पष्टीकरण शर्त है। जैसा कि हम पहले ही राय दे चुके हैं, सीआईबी की पंजीकरण समिति द्वारा पंजीकरण को अस्थायी रूप से मंजूरी देने का निर्णय सीआईबी के साथ पंजीकरण के बराबर नहीं है। अतः शर्त, इस प्रकार, असंशोधित शर्त के तहत संतुष्ट नहीं थी। संशोधित खंड केवल उसके परिणाम के बारे में प्रदान करता है। यह बिना किसी संदेह के कहा जा सकता है कि भले ही खंड 6 में संशोधन नहीं किया गया होता, पंजीकरण प्रमाण-पत्र के गैर-उत्पादन के आधार पर पहले प्रतिवादी द्वारा बोली को अस्वीकार करना कानूनी रूप से उचित होता। यह बोलीदाताओं के लिए निर्देशों में शामिल एक आवश्यक शर्त है। इस संदर्भ में, हम लाभप्रद रूप से बीएसएन जोशी एंड संस लिमिटेड बनाम नायर कोल सर्विसेज लिमिटेड और अन्य,(2006) 11 एससीसी 548 में प्राधिकरण का उल्लेख कर सकते हैं, जहां दो न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णयों की श्रृंखला का उल्लेख करने के बाद निम्नलिखित सिद्धांतों को स्पष्ट किया हैः-

"(i) यदि आवश्यक शर्तें है, तो उनका पालन किया जाना चाहिए;

(ii) यदि सामान्य छूट की कोई शक्ति नहीं हैं, तो आमतौर पर इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा और सख्त अनुपालन का सिद्धांत लागू किया जाएगा जहां सभी पक्षों के लिए ऐसी सभी शर्तों का पूरी तरह से पालन करना संभव है;

(iii) यदि, हालांकि, ऐसी किसी भी स्थिति के संबंध में सभी पक्षों के संबंध में कोई विचलन किया जाता है, तो आमतौर पर फिर से छूट की शक्ति को मौजूदा माना जा सकता है;

(iv) जिन पार्टियों ने इस तरह की छूट का लाभ उठाया है, उन्हें आमतौर पर निविदा अनुबंध के किसी अन्य भाग के अनुपालन के संबंध में एक अलग रूख अपनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए,खासकर जब वह सभी शर्तों का पालन करने की स्थिति में नहीं हो। पूरी तरह से निविदा, जब तक कि न्यायालय अन्यथा ऐसी शर्त में छूट नहीं पाता जो प्रकृति में आवश्यक होने के कारण ढील नहीं दी जा सकती थी और इस प्रकार यह पूरी तरह से अवैध और अधिकार क्षेत्र के बिना थी;

(v) जब उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा सभी निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए निविदा दस्तावेज परउनकी योग्यता के आधार पर उचित विचार करने के बाद निर्णय लिया जाता है, और यदि अंततः यह पाया जाता है कि सफल बोलीदाताओं ने वास्तव में उस उद्देश्य का काफी हद तक अनुपालन किया है जिसके लिए आवश्यक है शर्तें निर्धारित की गई थीं, उनमें आमतौर पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है;

(vi) ठेकेदार कार्टेल नहीं बना सकते। यदि इसके बावजूद, उनकी बोलियों पर विचार किया जाता है और उन्हें सबसे कम निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत दरों के साथ मिलान करने का प्रस्ताव दिया जाता है, तो सार्वजनिक हित को प्राथमिकता दी जाएगी ;

(vii) जहा कोई निर्णय पूरी तरह से सार्वजनिक हित पर लिया गया है, अदालत को आमतौर पर न्यायिक संयम बरतना चाहिए"

22. मास्टर मरीन सर्विसेज(पी) लिमिटेड बनाम मेटकाफ और होजकिन्सन (पी) लिमिटेड और अन्य, (2005) 6 एससीसी 138 में, यह माना गया है कि राज्य किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए अपनी विधि चुन

सकता है और यह है यदि निविदा की शर्तें ऐसी छूट की अनुमति देती हैं तो वह वास्तविक कारणों से कोई भी छूट देने के लिए स्वतंत्र है। आगे यह माना गया है कि राज्य, उसके निगमों, उपकरणों और एजेंसियों का सार्वजनिक कर्तव्य है कि वे सभी संबंधितों के प्रति निष्पक्ष रहें। यहां तक कि जब निर्णय लेने की प्रक्रिया में कुछ खामी पाई जाती है, तब भी अदालत को अनुच्छेद 226 के तहत अपनी विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए और इसका प्रयोग केवल सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहिए, न कि केवल कानूनी मुद्दा बनाने के लिए।

23. जगदीश मंडल बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य, (2007) 14 एससीसी 517 में यह फैसला सुनाया गया है कि जब निविदाओं या अनुबंधों के पुरस्कार से संबंधित मामलों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति लागू की जाती है, तो कुछ विशेष विशेषताएं शामिल की जानी चाहिए दिमाग। अनुबंध एक वाणिज्यिक लेनदेन है। निविदाओं का मूल्यांकन करना और अनुबंध देना अनिवार्य रूप से व्यावसायिक कार्य हैं। समता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत दूर ही रहते हैं। यदि अनुबंध देने से संबंधित निर्णय प्रामाणिक है और सार्वजनिक हित में है, तो अदालतें, न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए, हस्तक्षेप नहीं करेंगी, भले ही कोई प्रक्रियात्मक विचलन या मूल्याकंन में त्रुटि या निविदाकर्ता के प्रति पूर्वाग्रह हो।

सार्वजनिक हित की कीमत पर निजी हित की रक्षा के लिए, या संविदात्मक विवादों का निर्णय करने के लिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति को लागू करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

24. भारत संघ और अन्य बनाम इन्टरनेशनल ट्रेडिग कंपनी और अन्य, (2003) 5 एससीसी 437 में, यह माना गया है कि अनुच्छेद 14 की मूल आवश्यकता राज्य द्वारा कार्रवाई में निष्पक्षता और संक्षेप में गैर-मनमानी है। पदार्थ निष्पक्ष खेल की धड़कन है। न्यायिक समीक्षा के परिदृश्य में कार्रवाइयां केवल उस सीमा तक स्वीकार्य हैं, जहां राज्य को किसी स्पष्ट कारण के लिए वैध रूप से कार्य करना चाहिए, न कि किसी गुप्त उद्देश्य के लिए। आगे यह राय दी गई है कि मनमानी का अर्थ और वास्तविक आयात और अवधारणा को सटीक रूप से परिभाषित करने की तुलना में अधिक आसानी से देखा जा सकता है। यह प्रश्न कि क्या विवादित कार्रवाई मनमाना है या नहीं, अंततः किसी दिए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर उत्तर दिया जाना चाहिए।

25. जेस्पर आई. स्लोंग बनाम मेघालय राज्य और अन्य, (2004) 11 एससीसी 485 में, इस न्यायालय ने कहा कि निविदा के मूल्य का निर्धारण पूरी तरह से कार्यपालिका के दायरे में है और अदालतों की इसमें कोई भूमिका नहीं है। यह प्रक्रिया कार्यपालिका की ऐसी कार्रवाई को रद्द करने के अलावा है जो मनमानी या अनुचित साबित होती है।

26. उपरोक्त प्राधिकारियों को ध्यान में रखते हुए, हमें इस बात पर विचार करना होगा कि क्या उच्च न्यायालय ने चौथे प्रतिवादी के पक्ष में अनुबंध देने में हस्तक्षेप न करके गलती की है। जैसा कि तथ्यात्मक विश्लेषण से पता चलेगा, अपीलकर्ता नंबर 1 ने पंजीकरण की मंजूरी के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया था। यह अपीलकर्ता नंबर 2 था जिसने इसे दायर किया था। जैसा भी हो, सीआईबी की पंजीकरण समिति द्वारा दिनांक 31.03.2015 को निर्णय लिया गया था कि डीएसी द्वारा व्यावसायीकरण के लिए अनुमति देने की शर्त के अधीन पंजीकरण को मंजूरी दी जाए। इसके अलावा, संबंधित प्राधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय, भले ही इसे वेबसाइट पर डाल दिया गया हो, श्री सिंह की सूक्ष्म दलील के बावजूद, पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के समान नहीं होगा। जैसा कि हम समझते हैं, स्थिति स्पष्ट करने के लिए संशोधन किया गया था। हम पहले ही कह चुके हैं, भले ही संशोधन नहीं लाया गया था, पहला प्रतिवादी, वस्तुनिष्ठ मानकों को लागू करके, अपीलकर्ताओं की बोली को गैर-उत्तरदायी और गैर-अनुपालक मानने की स्थिति में होता। "अवश्य शब्द का उपयोग इसमें काफी हद तक निश्चितता जोड़ता है; यह एक अपेक्षित पैरामीटर है जैसा कि प्रतिवादी नबंर 1 ने सोचा था। जो देश के लिए जरूरी है, उसे खरीदने के लिए टेंडर निकाला गया। प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के साथ प्रथम प्रतिवादी अत्यधिक सावधानी बरत रहे थे। ऐसी परिस्थिति में, इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें सार्वजनिक हित शामिल है।

यह निजी हित के आगे नहीं झुक सकता। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से कार्रवाई को मनमाना या अनुचित नहीं माना जा सकता है। किसी भी कल्पना से यह नहीं माना जा सकता कि यह एक ऐसा कार्य है जो प्रामाणिक नहीं है या चौथे प्रतिवादी को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि चौथा प्रतिवादी पात्र या योग्य नहीं है। हमारी सुविचारित राय में, निविदा की आवश्यक शर्त पूरी नहीं होने पर, निविदाकर्ता, यहां अपीलकर्ता, अयोग्य थे और निविदा गैर-उत्तरदायी थी। इसके अलावा, संशोधन सभी पर लागू था। इसके पंजीकरण प्रमाण-पत्र से पंजीकरण प्राधिकारी के निर्णय की तारीख से रिट याचिकाकर्ताओं को लाभ होगा, और उसने ऐसा नहीं कहा था। किसी भी कोण से देखने पर, हमें इस अपील में उठाए गए आधारों में कोई सार नजर नहीं आता।

27. नतीजन, अपील, योग्यता से रहित होने के कारण, खारिज कर दी जाती है। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

अपील खारिज

(यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री संजय कुमार त्रिपाठी (R.J.S.) द्वारा किया गया है।)

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कायार्न्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।